न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2021-137Ju2021-60 Gorkharam etc Vs Lrs. Of Khetsingh Jitendrasingh etc

---

1. गोरखाराम पुत्र हीराराम
2. दुदाराम पुत्र हीराराम जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम हड़मान नगर भेड़ तहसील औसियां जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. खेतसिंह पुत्र हेमसिंह के कायम मुकामः -
   1/1. जितेन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह
   1/2. गुलाब कंवी पत्नी खेतसिंह
   1/3. गुड्डी कंवर पुत्री खेतसिंह
   1/4. भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह
2. बलूकंवर पुत्री हेमसिंह
3. मोहनीकवंर पुत्री हेमसिंह
4. सुरजकंवर पुत्री हेमसिंह
5. मनोहरकंवर पुत्री हेमसिंह
6. हिमकंवर पुत्री हेमसिंह
7. नरूकंवर पुत्री हेमसिंह

जातियान् राजपूत निवासीयान् ग्राम हड़माननगर भेड़ तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

8. बालाराम पुत्र कुम्भाराम — प्राथीगण
9. केवलराम पुत्र कुम्भाराम
10. पूनाराम पुत्र कुम्भाराम
11. भूराराम पुत्र कुम्भाराम
12. चैनाराम पुत्र पोलाराम
13. गोपाराम पुत्र पोलाराम
14. हरजीराम पुत्र पोलाराम
15. नारायणराम पुत्र पोलाराम
16. मगा पुत्र उदा
17. गिरधारी पुत्र उदा
18. मोहन पुत्र उदा
19. भोमा पुत्र उदा

जातियान् जाट, निवासीगण-'ग्राम हड़माननगर भेड़ तहसील औसियां जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां जिला जोधपुर।
रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां दिनांक 03 मार्च 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 206/2014 हेमसिंह के कायम मुकाम खेतसिंह बनाम बालाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलांट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 20

नि र्ण य

दिनांक : 02 सितंबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 206/2014 हेमसिंह के कायम मुकाम खेतसिंह बनाम बालाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 24 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1053/1 रकबा 32.12 बीघा में आवागमन हेतु भूमि खसरा नं.1053/2 एवं 1053 में से कदीमी रास्ता चलता है, जिसे नजरी नक्शा में ए से बी भाग दर्शाया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने प्रार्थना पत्र में आगे निवेदन किया कि खेत खसरा नं. 1053/1 में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है, इसलिए खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नं. 1053/2 एवं खसरा नं. 1053 में तीन गट्टा चौड़ा रास्ता दिलाया जावे। एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या आठ से बीस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेंट संख्या आठ से ग्यारह ने जवाब प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट संख्या आठ से ग्यारह की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.11.2017 को अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को नियम 69 के अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट ली जाकर प्रभावित पक्षकारान् को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या एक से सात की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 03 मार्च 2021 को अपीलधीन आदेश पारित कर दिया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है। अपील दज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट सख्या 01 से 19 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर ही नही दिया। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स के खेत को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रास्ता दिये जाने के कारण खातेदारी भूमि के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौका फर्द दिनांक 12.02.2021 पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। मौका निरीक्षक कमिश्नर ने एकपक्षीय मनमाने तरीके से रिपोर्ट तैयार की है। अपीलांट्स की सहमति गलत दर्ज की गई है। अपीलांट्स अपने खेत खसरा नं. 1053/2 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे रास्ता देने हेतु तैयार है, जिससे न तो अपीलांट्स के खते के टुकड़े होंगे तथा रेस्पोडेंट को रास्ता भी मिल जायेगा। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2021 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना में तहसीलदार शेरगढ से मौका रिपोर्ट तलव कर रेस्पोडेंट्स पक्ष के उपस्थित नही होने पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से सात की सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

अपीलाधीन आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस से स्पष्ट होता है कि --

01. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत **खसरा नं. 1053/2** एवं खसरा नं. **1053 के बीचों बीच** में से अपीलाधीन रास्ता **प्रदान**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया है, जिससे खसरा नं. 1053/2 **एवं 1053 असमान भागों में विभक्त हो गये है** तो धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत है।

02. रेस्पोडेंट के खेत खसरा नं. 1053/1 से सड़क सामड़ाउ से भाखरी पर आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नं. 1053/2 एवं खसरा नं. 1053 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।

03. खसरा नं. 1053/1 से सड़क तक आवागमन हेतु पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नक्शा एवं जमाबंदी संवत 2074-2077 मौजा हड़माननगर तहसील औसियां में दर्शित खसरा नं. 1053/2 की **दक्षिणी** सीमा के **सहारे-सहारे तीन गढ्ठा चौड़ा रास्ता दिये जाने** हेतु **अपीलांट के अधिवक्ता ने सहमति प्रदान की है** जो **अदालत हाजा की राय में सबसे उपयुक्त वैकल्पिक** रास्ता **प्रतीत होता है।** इस रास्ते में नये खसरा नं. 1053/3 का भी कुछ रकबा सम्मिलित होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर मनन करने के बाद अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 206/2014 हेमसिंह के कायम मुकाम खेतसिंह बनाम बालाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामलें में खसरा नं. 1053/3 के खातेदारान् को भी पक्षकार संयोजित कर अपीलांट द्वारा सुझाये विकल्प पर रास्ते के रकबे बाबत् पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 2/9/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर